



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022023-243829
CG-DL-E-23022023-243829

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 781]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2023/फाल्गुन 3, 1944

No. 781]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2023/PHALGUNA 3, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2023

का.आ. 814(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन(भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 24 मई 2021 में पृष्ठ सं० 2 से 10 तक (हिन्दी संस्करण में) एवं पृष्ठ सं० 11 से 18 तक (अंग्रेजी संस्करण में) पर प्रकाशित सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. 2299 (अ) तारीख 24.05.2021 में, जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 2136, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 11.06.2021 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में:-

अनुसूची

पेज नं. 2 से 10 तक (हिन्दी संस्करण में) और पेज नं. 11 से 18 तक (अंग्रेजी संस्करण में)

प्रकाशित किया गया है।			पढ़ा जाएँ।		
गाँव का नाम	तालुका	जिला	गाँव का नाम	तालुका	जिला
32.अलंगुडी	कुत्तलम	नागपट्टिनम	1.अलंगुडी	कुट्टलम	मयिलाडुतुरै
33.थिरुमनमचेरी			2.थिरुमनमचेरी		
68.असिकाडु			18. असिकाडु		
69.टोलुदालंगुडी			8. थोलुथलंगुडी		
82.थेरैलुंतुर			16. थेरीलंदूर		

प्रकाशित किया गया है।			पढ़ा जाएँ।		
गाँव का नाम	तालुका	जिला	गाँव का नाम	तालुका	जिला
81. पेरुमालकोविल			15. पेरुमाल कोविल		
91. कोमल किलसेदी			38. कोमल पूर्व		
87. कोलाइयुर			28. कोलैयुर		
86. कपपुर			27. कपपुर		
85 और 18. पंडारवडै			21. पंडारवडै		
48. पेरुंचेर			23. पेरुंचेर		

अधिसूचना का शेष विषय अपरिवर्तित रहेगा।

[फा. सं. एल-14014/33/2021-जीपी-II(ई-45771)]

एम.आर.नाजमी, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ERRATUM

New Delhi, the 16th February, 2023

S.O. 814(E).—In exercise of the powers conferred by Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas of S.O. 2299(E) dated: 24.05.2021, published from page no. 2 to 10 (in Hindi Version) and from page no. 11 to 18 (in English Version) in Part- II, Section 3, Sub section (ii) of the Extra Ordinary Gazette of India No. 2136 dated: 11.06.2021.

In the schedule to the said notification:-

SCHEDULE

From page no. 2 to 10 (in Hindi Version) and from page no. 11 to 18 (in English Version)

Published as			To be read as		
Name of the Village	Taluk	District	Name of the Village	Taluk	District
32. Alangudi	Kuthalam	Nagapattinam	1. Alangudi	Kuttalam	Mayiladuthurai
33. Thirumanamchery			2. Thirumanancheri		
68. Asikadu			18. Asikkadu		
69. Thozhudalangudi			8. Thozhuthalangudi		
82. Therezhandur			16. Therizhandur		
81. Perumalkoil			15. Perumal Koil		
91. Komal Kizhasethi			38. Komal East		
87. Kozhaiyur			28. Kozhaiyur		
86. Kappur			27. Kappur		
85&18. Pandavaradai			21. Pandaravadai		
48. Peruncheri			23. Peruncheri		

The other contents of the notification remain unaltered.

[F. No. L-14014/33/2021-GP-II (E-45771)]

M. R. NAZMI, Under Secy.